यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के माह 12/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, व श्री खजान सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार जयन्त, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 18.09.2018 से 22.09.2018 तक श्री प्रेम चन्द, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- परिचयात्मक- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राम सनेही एवं श्री एस.के.सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2016 से 06.12.2016 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2015 से 11/2016 तक लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2016 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- पौड़ी।

(ii)(अ) विगत पांच वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	444.15	444.15	963.15	963.15	-	-
2016-17	-	-	513.78	513.78	1109.64	1109.64	-	-
2017-18	-	-	619.91	619.91	741.81	741.81	-	-
2018-19(08/18)	-	-	658.59	310.85	694.43	149.43	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण हैः-

(रू लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत
2015-16			शून्य		
2016-17			शून्य		
2017-18			शून्य		
2018-19(08/18)	कृषि गणना	-	42.76	0.11	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई **'सी'** श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
प्रशासनिक अधिकारी
मुख्य सहायक
वरिष्ठ सहायक
कनिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2016, एवं 05/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः1- पटवारी चौकियों के निर्माण की धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक खाते में अवरूद्ध रखा जाना रू 1.01 करोड़।

वित्तीय नियमानुसार कोषागार से धनराशि तभी आहरित की जानी चाहिए जब धनराशि के भुगतान की तुरन्त आवश्यकता हो। बजट को राजसात से बचने के उद्देश्य से कोषागार से धनराशि आहरित कर बैंक खातें में न रखा जाए।

कार्यालय के बैंक खाते की जांच में पाया गये है कि पटवारी चौकी हेतु आवंटित धनराशि रू 1.01 करोड़ को कोषागार से आहरित कर पंजाब नेशनल बैंक पौड़ी के खाता संख्या 1370002100006279 में दिनांक 27.08.05 को जमा की गई जो कि अभी तक सितम्बर 18 बैंक खाते में अवरूद्ध है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि सम्बन्धित प्रकरण की जांच करके निस्तारण की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विगत 13 वर्ष के बाद भी पटवारी चौकियों के निर्माण हेतु धनराशि को कोषागार से आहरित कर बैंक खातें में अवरूद्ध रखा जाना वित्तीय नियमों के विरूद्ध है।

अत पटवारी चौकियों के निर्माण की धनराशि कोषागार से आहरित कर रू 1.01 करोड़ विगत 13 वर्षों से बैंक खाते में अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः2- भूमि अर्जन में अधिनिर्णित की गई प्रशासनिक व्यय की धनराशि रू 132.48 लाख राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-3 संख्या 342/XXiii(3)/2016-02(6)/2016 देहरादून 10 अक्टूबर 2016 के प्रस्तर (2ख) के खंड़ के उपखण्ड-4 की मद क. के अधीन प्रशासनिक लागत धारा-3 के खंड-झ के उपखंड़-1 में यथा उपबंधिक प्रतिकर की लागत के 05 प्रतिशत की दर से होगी, परन्तु यह राशि अधिकतम रू 05 करोड़ के अधीन होगी।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ऋषिकेश -कर्णप्रयाग नई ब्राँड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रभावित 13 गांवों की निजी भूमि 37.491 हेक्टेयर भूमि के भू अर्जन प्रस्तावों में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 23 के अधीन दिनांक 25.04.2018 से दिनांक 28.04.2018 तक अधिनिर्णय घोषित किये जा चुके है। जिस पर अधिनिर्णित धनराशि रू 253651455 के सापेक्ष भूमि अर्जन अधिष्ठान व्यय पर 5 प्रतिशत की दर से रू 1.27 करोड़ की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना चाहिए। लेकिन सम्प्रेक्षा तिथि माह 09/18 तक राजकोष में जमा नही किया गया है। इसी प्रकार आलवेदर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि के अधिनिर्णित हेतु कुल 14 गांवों की जमीन 2.306 हेक्टेयर भूमि दिनांक 01.01.2018 करोड़ में किया गया है। जिस पर पांच प्रतिशत की दर से 547698 का प्रशासकीय व्यय की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना था, जोकि अभी तक जमा नही किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि प्रशासनिक व्यय की धनराशि जमा किये जाने हेतु शासन से लेखाशीर्षक प्राप्त न होने के कारण जमा नही की गई है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि अधिनिर्णित की गई धनराशि के चार माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त धनराशि राजकोष में जमा नही की गई थी।

अतः भूमि अर्जन में अधिनिर्णित की गई प्रशासनिक व्यय की धनराशि रू 1.27+0.05=1.32 करोड़ राजकोष में जमा नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः1- बैंक खाते में जमा अवितरित प्रतिकर की धनराशि।

कार्यालय के अन्तर्गत विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के अभिलेखों की जांच में पाया गयी है कि रेल विकास निगम लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई रेल लाईन परियोजना), ऋषिकेश द्वारा 126 किमी0 ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु, वित्तीय वर्ष 2015-16 में 33.87 लाख वित्तीय वर्ष 2016-17 में रू 124.55 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू 4495.59 लाख कुल 4654.01 लाख की धनराशि जिलाधिकारी पौड़ी को उपलब्ध कराई गई थी। जिसमें रू 65.40 लाख की धनराशि का प्रतिकर भुगतान कर दिया गया था। तथा रू 1.25 करोड की धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी पौड़ी के पीएलए के खाते में रखी गई थी, तथा अवशेष, धनराशि रू 4464 लाख जिलाधिकारी पौड़ी के बैंक खाते में वर्ष 2016 में अवरूद्ध थी। आगे जांच में यह भी पाया गयी है कि एन एच 58 की भूमि अर्जन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रू 18 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई थी। उक्त में से रू 16 करोड़ की धनराशि भारत सरकार को वापस कर दिया गया। जिसमें से रू 23 लाख प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया था। अवशेष धनराशि रू 1.78 करोड धनराशि बैंक खातें में अवरूद्ध थी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि लाभार्थियों द्वारा प्रतिकर की धनराशि की दर में वृद्धि की मांग के कारण भुगतान लेने से मना कर दिया है। प्रकरण प्राधिकरण में विचाराधीन है निर्णय आने पर प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

अतः रू 4766.61 की धनराशि का वितरण वापसी सम्प्रेक्षा में प्रतिक्षित रहेगा।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः2- अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदों की धनराशि रू 121.66 लाख विगत कई वर्षों से बैंक खातों में अवरूद्ध रखना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित सूचनाओं तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया है कि तहसील द्वारा विभिन्न केन्द्र व राज्य पोषित योजनाओं तथा अन्य मदों में प्राप्त निधियों के संचालन हेतु भारतीय स्टेट बैंक, पौड़ी में दो बैंक खातों का संचालन किया जा रहा था। संदर्भित बैंक खाते जिलाधिकारी पौड़ी के पदनाम से है उक्त खातों में 18 दिसम्बर, 2018 को, खाता संख्या-33214682384 में रू 20.15 लाख तथा खाता संख्या-10846936419 में रू 4678.41 लाख अर्थात दोनों खातो में रू 4698.56 लाख की धनराशि जमा थी।

उक्त दोनों खातों की कुल जमा धनराशि में रू 4576.90 लाख विज्ञ मदों की धनराशि थी जिसका सम्बंधित को भुगतान लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था तथा शेष धनराशि रू 121.66 लाख विगत कई वर्षों से अर्जित ब्याज व अनविज्ञ मदो की अवरूद्ध पड़ी थी। जिसके सम्बंध में उच्चाधिकारी से पत्राचार करके निस्तारण किया जाना चाहिए था, जो लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कार्यालय के समस्त अनुभागों के समस्त अभिलेखों का अवलोकन करने पर उक्त अनविज्ञ धनराशि के सम्बंध में कार्यवाही की जायेगी, तदानुसार लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः3- अग्नि आयुध (शस्त्रों) लाईसेंस के नवीनीकरण में निर्धारित दर से कम शुल्क वसूल ने के परिणामस्वरूप रू 3.50 लाख की राजस्व क्षति।

भारत के राजपत्र के भाग-II उपखण्ड (i) दिनांक 15.07.2016 के तालिका (ख) के क्रम संख्या-5 के अनुज्ञाप्ति प्रारूप II,III एवं IV अन्तर्गत दिनांक 15.07.2016 से अग्नि आयुध (शस्त्रों) के नवीनीकरण हेतु रू 500/ प्रति शस्त्र/ प्रतिवर्ष की फीस निर्धारित की गयी है।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी- गढ़वाल के आयुध/शस्त्रों लाईसेंस निर्गत एवं नवीनीकरण पंजिका के अवलोकन में पाया गया था कि कार्यालय द्वारा दिनांक 01.04.2017 से 13.04.2018 के मध्य 350- अग्नि आयुधों/शस्त्रों के लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया था। जिसका निर्धारित शूलक रू 1500/-(रू 500 प्रति वर्ष) प्रत्येक शस्त्र के बजाय रू 500+विलम्ब शुल्क/प्रति शस्त्र की दर से वसूल किया गया था। जो कि निर्धारित दर से रू 1000/प्रति शस्त्र/प्रतिवर्ष कम था। अर्थात रू 100/- प्रतिशस्त्र कम शुल्क वसूला गया है।

उक्त कम की गयी वसूली के परिणामस्वरूप राजकोष को कुल रू 350000/- की राजस्व क्षति हुयी है।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि सम्बंधित लाईसंसधारकों को नोटिस जारी करके वसूली की जायेगा तथा तदानुसार लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अत प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब'

प्रस्तरः4- विविध देयों/ आर0सी0 वसूली हेतु लम्बित रहना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के विविध देयों/आर0सी0ज0 से सम्बंधित पंजिकाओं एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अवलोकन में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 तक, रू 245.00 लाख के विविध देयों/आर0सीज0 की धनराशि सम्बंधित तहसीलों पर वसूली हेतु लम्बित थी, जबकि तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका था। जिनका विवरण निम्नवत है-

(धनराशि रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल विविध देयों/ आर0सीज0 की वसूली हेतु लम्बित धनराशि
2015-16	73.63
2016-17	67.47
2017-18	103.90
योग	**245.00**

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि सम्बंधित तहसीलों पर वसूली की कार्यवाही गतिमान है तथा वसूली करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब

प्रस्तरः5(अ)- दैवीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 2.05 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण शासन को न किया जाना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल के दैवीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में, कुल रू 5.00 करोड़ लाख की धनराशि उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त हुयी थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यालय द्वारा रू 4.00 करोड़ की धनराशि तहसीलों/कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की गयी थी तथा शेष धनराशि रू 1.00 करोड़ शासन को वापस की गयी थी। संदर्भित वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी उक्त धनराशि में से रू 1.95 करोड़ के उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किये गये थे तथा शेष धनराशि रू 2.05 करोड़ से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रेषण लेखापरीक्षा तिथि तक लम्बित था। जबकि उक्त प्रमाण-पत्र उपभोग के बाद 31 मार्च या वित्तीय वर्ष के अन्त तक शासन को प्रेषित किये जाने चाहिए थे। आगे अभिलेखों में यह भी पाया गया कि सम्बंधित तहसील/ कार्यदायी संस्थाओं से उपभोग प्रमाण/ पत्रों के प्रेषित न होने के बावजूद भी जिलाधिकारी कार्यालय से रू 4.00 करोड़ के उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किये गये थे।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों को सम्बंधित तहसीलों एवं कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त कर शासन को प्रेषित किये जायेगे। तथा तहसील एवं कार्यदायी संस्था से अप्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों के बावजूद भी उक्त धनराशि के प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किये जाने के सम्बंध में इकाई ने बताया कि प्रकरण की पुनः जांच करके निस्तारित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब

प्रस्तरः5(ब)- प्रस्तरः- मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत व्यय धनराशि रू 86.46 लाख के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का शासन को प्रेषण न किया जाना।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल के मा0 मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से सम्बंधित पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2017-18 शासन से कुल रू 787.86 लाख उक्त कोष के अन्तर्गत प्राप्त थी। कुल प्राप्त धनराशि के सापेक्ष तहसील द्वारा रू 782.75 लाख का व्यय किया गया था। शेष धनराशि रू 5.11 लाख शासन को वापस की गयी थी। संदर्भित वित्तीय वर्षों में व्यय की गयी उक्त धनराशि में से रू 696.29 लाख के उपभोग प्रमाण-पत्रों का शासन को प्रेषित किये गये थे। शेष धनराशि रू 86.46 लाख से सम्बंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का शासन को प्रेषण विगत दो वर्षों से लम्बित था। जबकि उक्त प्रमाण-पत्र उपभोग के बाद यथाशीघ्र शासन को प्रेषित किये जाने चाहिए था। आगे पंजिकाओं के अवलोकन में यह भी पाया गया कि पंजिका का वर्ष 2015-16 से लेखापरीक्षा तिथि तक न तो मासिक लेखाबन्दी की जा रही थी न ही सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करवायी जा रहा थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि भविष्य में प्रश्नगत पंजिका की लेखाबन्दी कर दी जायेगी तथा लम्बित उपभोग प्रमाण-पत्रों को सम्बंधित तहसीलों से प्राप्त कर शासन को प्रेषित कर दिये जायेगे।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो 'ब

प्रस्तरः6- कार्यालय अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी के बैंक खातें में अवरूद्ध धनराशि रू 89.45 लाख को शासन को हस्तांतरित न करना।

डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी नियमावली के बिन्दु-11 अनुसार मुख्यालय स्तर तथा प्रत्येक तहसील स्तर पर संस्था का सार्वजनिक क्षेत्र में किसी बैंक में खाता खोला जायेगा। खाते से धन का आहरण मुख्यालय स्तर पर प्रबन्धकारिणी के अध्यक्ष की स्वीकृति पर संयोजक व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से तथा तहसील स्तर पर संचालन समिति के नोडल अधिकारी व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। संस्था का अतिरिक्त राजस्व (शुल्क के अतिरिक्त) सूचना प्रौद्धोगिकी विकास एजेन्सी, देहरादून को हस्तांतरित कर दिया जायेगा तथा संस्था को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होगी तो वह सूचना प्रोद्धोगिकी विकास एजेन्सी देहरादून से प्राप्त करेगी।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल के अन्तर्गत डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी-पौड़ी के द्वारा उपलब्ध करायें गये बैंक खातों से सम्बंधित बैंक स्टेटमेन्ट के अवलोकन में पाया गया कि कार्यालय द्वारा भारत स्टेट बैंक, पौडी, में खाता संख्या-34057474621 का संचालन किया जा रहा है। उक्त खाता डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेन्स सोसाइटी-पौड़ी, कार्यालय जिलाधिकारी पौड़ी के पदनाम से है। उक्त खाते में 18 सितम्बर, 2018 को रू 89.45 लाख की धनराशि अवरूद्ध थी। जबकि उक्त नियमावली के अनुसार संदर्भित धनराशि सूचना प्रौद्धोगिकी विकास एजेन्सी, देहरादून को हस्तांतरित की जानी चाहिए थी। जो लेखापरीक्षा तिथि तक हस्तांतरित नही की गयी थी।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने प्रत्युत्तर में बताया कि संदर्भित धनराशि सोसाइटी के दिशा निर्देशों पर व्यय की जाती है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नही है, क्योंकि उक्त नियमावली में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त राजस्व को सूचना प्रौद्धोगिकी विकास एजेन्सी, देहरादून को हस्तांतरित किया जाना है। जो लेखापरीक्षा तिथि तक संदर्भित एजेन्सी को हस्तांतरित नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः1-</u> व्यवसायिक शस्त्र/आयुद्ध विक्रेता पर व्यवसायिक शस्त्र लाईसेंसों के निर्गत एवं नवीनीकरण पर लिये जाने वाले स्टाम्प की कुल धनराशि रू 70,000/- की वसूली का लम्बित रहना।

शासनादेश संख्या-1885/14/XX(2)/407/व्य.श.ला./2002 दिनांकः 04 अक्टूबर, 2014 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्याः 13240//1999 एवं 2194/2008 में दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 को पारित आदेश के पश्चात व्यवसायिक शस्त्र लाईसेंसों पर वर्ष 1999 से 31 दिसम्बर, 2008 की बकाया स्टाम्प शुल्क तथा वर्ष 2008 से बाद निर्गत एवं नवीनीकृत व्यवसायिक शस्त्र लाईसेंसों पर स्टाम्प शुल्क वसूल करने का कष्ट करें।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी-गढ़वाल के अस्त्र-शस्त्र लाईसेंसों के निर्गत एवं नवीनीकरण पत्रावलियों की जांच में पाया गया कि मै0 गढ़वाल आमोरी, अस्त्र-शस्त्र, विक्रेता, कोटद्वार, मै0 गढ़वाल ट्रेडिंग एजेन्सी, अस्त्र-शस्त्र, विक्रेता, पौड़ी एवं मै0 मोहम्मद यासीन, अस्त्र-शस्त्र विक्रेता, लोअर बाजार, पौड़ी से आयुद्ध अधिनियम-1959 एवं आयुद्ध नियमावली, 1962 के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले व्यवसायिक शस्त्र लाईसेंसो के निर्गत एवं नवीनीकरण पर लिये जाने वाले स्टाम्प शुल्क की कुल धनराशि रू 70,000/- का उक्त फर्मों पर विगत चार वर्षों से वसूली हेतु लम्बित थी। जबकि उक्त शासनादेश में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उक्त धनराशि की वसूली वर्तमान तक की जाना चाहिए थी। उक्त शासानादेश के निर्गत की तिथि से कार्यालय में व्यवसायिक शस्त्रों व अन्य शस्त्रों के लाईसेंसों के निर्गत एवं नवीनीकरण से सम्बंधित अलग-अलग पंजिका का रख-रखाव किया जाना चाहिए था जिससे यह स्पष्ट हो सके कि व्यवसायिक शस्त्रों के निर्गत व नवीनीकरण से कितना राजस्व प्राप्त हुए है और अन्य शस्त्रों के निर्गत व नवीनीकरण से कितना राजस्व प्राप्त हुआ। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2008 से लेखापरीक्षा तिथि तक व्यवसायिक शस्त्रों के नवीनीकरण व निर्गत करने से राजकोष की कितना राजस्व स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त हुआ।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया है कि उक्त वसूली की कार्यवाही प्रगति पर है, वसूली के बाद लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा तथा भविष्य में पंजिका अलग-अलग बनायी जायेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तरः3-</u> कार्यालय के नियन्त्रणाधीन अतिथि गृह 'सर्किट हाउस पौड़ी' में प्राप्त राजस्व रू 1.68 लाख को विलम्ब/देरी से राजकोष में जमा कराये जाने का प्रकरण।

कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी-गड़वाल के नियन्त्राणाधीन अतिथि गृह 'सर्किट हाउस पौड़ी' के पंजिकाओं के अवलोकन में पाया गया कि अतिथि गृह में रूके अतिथियों से प्राप्त किराये की धनराशि रू 1.68 लाख (संलग्न परिशिष्ट-अ) को प्रबंधक/वार्डन द्वारा लगभग एक माह से लेकर तीन माह के विलम्ब से राजकोष में जमा करायी जा रही थी, जबकि उक्त प्राप्त राजस्व को प्राप्ति के दिन या अगले कार्यदिवस पर राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था आगे पंजिका के अवलोकन में यह भी पाया कि अप्रैल, 2017 से लेखापरीक्षा तिथि तक, 8-कमरों का किराया निर्धारित दर रू 150 के बावजूद रू 100 की दर से लिया गया था। पंजिका में दर्ज राजस्व की धनराशि का वर्ष 2017 से लेखापरीक्षा तिथि तक मासिक लेखाबन्दी नही की जा रही थी तथा सक्षम अधिकारी द्वारा से भी पंजिका का सत्यापन नहीं कराया जा रहा था। जबकि प्रत्येक दिन प्राप्त राज्सव की प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए।

इसी क्रम में पंजिका के अवलोकन में यह भी पाया गया कि दिनांकक 15.09.2018 से 20.09.2018 तक अतिथि गृह में रूके अतिथियों की पंजिका में प्रविष्टियां अद्यतन या दर्ज नहीं की गयी। जबकि पंजिका का अद्यतन प्रत्येक दिवस में किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के सम्बंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने प्रत्युत्तर में बताया कि उपरोक्त आपत्ति का भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नकः परिशिष्ट-अ

परिशिष्ट-अ

क्र.सं.	सर्किट हाउस से प्राप्त किराये की धनराशि अवधि	प्रबंधक द्वारा प्राप्त को राजकोष में जमा कराये जाने की तिथि	विलम्ब/देरी की अवधि (दिन)	कुल धनराशि
1.	29.03.2017 से 22.05.2017	25.07.2017	55	11150
2.	29.05.2017 से 19.06.2017	19.06.2017	22	14250
3.	20.06.2017 से 06.09.2017	06.09.2017	80	20250
4.	09.09.2017 से 22.11.2017	22.11.2017	75	18000
5.	22.11.2017 से 20.01.2018	20.1.2018	60	23250
6.	22.01.2018 से 21.04.2018	21.04.2018	90	26200
7.	23.04.2018 से 31.05.2018	31.05.2018	40	22900
8.	01.06.2018 से 27.06.2018	27.06.2018	27	20450
9.	28.06.2018 से 28.08.2018	28.08.2018	62	11650
योग				168100

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
08/2011-12	1,2	1	-
07/2013-14	1	1,2,3	-
41/2014-15	-	1,2	-
34/2016-17	-	1,2	1,2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
34/2016-17	भाग दो ब प्रस्तरः1- धनराशि रू 4.93 करोड़ के व्यय के बावजूद निर्माण कार्य समय से पूर्ण ने के कारण विभाग पर रू 4.94 करोड़	अनुपालन अख्या भविष्य में आपके कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।		
	प्रस्तरः2- रू 116.16 लाख के व्यय के बावजूद आवासीय भवनों के पूर्ण न होना एवं तहसील भवन का हस्तगत न होना।			
	STAN प्रस्तरः1- ग्राम प्रहरियों के मानदेय के रूप में भुगतान की गई धनराशि रू 29.50 लाख की प्राप्ति रसीद प्राप्त न होना	-तदैव-		
	प्रस्तरः2- धनराशि रू 1420790/- का मिलान न कराया जाना।	-तदैव-		

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य

2- सतत् अनियमितायेः- शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री चन्द्र शेखर भट्ट	जिलाधिकारी	20.05.2014	29.04.2017
2	श्री सुशीन कुमार	जिलाधिकारी	29.04.2017	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र